

बिहार सरकार,  
वन एवं पर्यावरण विभाग।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक:- 23.10.1990

संख्या-वन/पर्या0 85/90/4939 व0, वन राज्य सरकार द्वारा (वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (2) के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय प्राधिकार का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

- |   |         |
|---|---------|
| (1) सदस्य, राजस्व पर्षद .....                           | अध्यक्ष |
| (2) औद्योगिक विकास आयुक्त बिहार<br>(सचिव, उद्योग विभाग) | सदस्य   |
| (3) सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, पटना                   | सदस्य   |

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

एच0 के0 प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव

निर्बंधित

ज्ञापांक वन /पत्रांक 05/ 4939 व0 प0, पटना-15, दिनांक 22/23.10.90

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुख्यालय, गुलजारबाग, पटना की राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

( एच0 के0 प्रसाद )  
सरकार के अवर सचिव।

सिंह/-

ज्ञापांक-वन/पर्या0,05/90 /4939 व0प0,पटना-15, दिनांक 22/23.10.90

प्रतिलिपि सदस्य, राजस्व पर्षद् बिहार, पटना/ औद्योगिक विकास आयुक्त बिहार/सचिव,उद्योग विभाग, पटना /सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

( एच0 के0 प्रसाद )  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -वन/पर्या0 85/90 4939 व0 प0, पटना-15, दिनांक 22/23.10.90

प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव सह विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/ सचिव प्रमंडलीय आयुक्तक/ सभी समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-